

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-12) विभाग

क्रमांक : प.1(2)गृह-12/कारा/2019


जयपुर, दिनांक 24 JAN 2019

:: आदेश ::

वर्ष 2019-20 में राजस्थान कारागार सेवा के निम्नांकित अधिकारियों को अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने के फलस्वरूप उनके नाम के सामने अंकित तिथि को राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	जन्म तिथि	अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर राज्य सेवा से सेवानिवृत्ति की तिथि	विचाराधीन विभागीय जांच/ शिकायत/ न्यायालय प्रकरण
1.	श्री कैलाश प्रसाद शर्मा	उपाधीक्षक, जिला कारागृह, बून्दी	01.05.1959	30.04.2019	कोई नहीं
2.	श्री भंवरदान देथा	उपाधीक्षक, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर	01.12.1959	30.11.2019	एसीबी अपराध संख्या 30/07 में अभियोजन स्वीकृति जारी की गई है। प्रकरण वर्तमान में सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर में विचाराधीन है।


आज्ञा से,


(कैलाश चन्द)

शासन उप सचिव,

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (कारागार) राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, गृह विभाग।
3. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक 47757 दिनांक 13.12.2018 के क्रम में।
4. निदेशक, पेंशन एवं वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1/गोपनीय प्रकोष्ठ) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-3/जांच/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
9. प्रोग्रामर, गृह(ग्रुप-6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।


(शंकर सिंह मनोहर)
सहायक शासन सचिव,